ODF NOTIFICATION

अमर उजाला, दिनांक - 25/07/18

कार्यालय नगर पालिका परिषद बहराइच

पत्रांक 593/ न.पा.प.बह./2018-19 दिनांक 23 जुलाई, 2018

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद बहराइच द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निम्नलिखित वार्ड की सूची के अनुसार नगर पालिका परिषद बहराइच के और नगर के सम्मानित नागरिकों के बहुमूल्य प्रयासों से खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करते हुए नगर पालिका परिषद के समस्त वार्डों को खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित करते हुए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है। निम्नलिखित वार्डों को शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) से सम्बन्धित यदि किसी कोई आपूर्ति/ सुझाव है तो इस विज्ञप्ति के जारी होने के 15 दिवस के अन्दर अति शीघ्र कार्यालय नगर पालिका परिषद बहराइच में किसी भी कार्य दिवस में लिखित रूप से अपनी आपत्ति/ सुझाव दे सकते हैं।

नगर पालिका परिषद बहराइच के अन्तर्गत (ओ.डी.एफ.) वार्डों का विवरण

क्र.सं.	वार्ड का नाम	वार्ड नम्बर	अभियुक्ति
1	चाँदमारी	1	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
2	मन्सूरगंज	2	खुले में शौच सें मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
3	घसियारीपुरा	3	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
4	खत्रीपुरा	4	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
5	रायपुर राजा	5	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
6	बख्शीपुरा	6	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
7	वजीरबाग	7	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
8	बड़ीहाट	8	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
9	कानूनगोपुरा दक्षिणी	9	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
10	दरगाह शरीफ	10	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
11	कानूनगोपुरा उत्तरी	11	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
12	क़ाँजीकटरा	12	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
13	छावनी	13	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
14	बशीरगंज उत्तरी	14	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
15	हमजापुरा	15	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
16	गुलामअलीपुरा	16	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
17	चाँदपुरा	17	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
18	सलारगंज	18	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
19	ढपालीपुरवा	19	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
20	सत्तीकुआं	20	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
21	धनकुट्टीपुरा	21	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
22	अकबरपुरा	22	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
23	मेवातीपुरा	23	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
24	काजीपुरा उत्तरी	24	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
25	बशीरगंज दक्षिणी	25	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
26	ब्राम्हणीपुरा	26	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
27	नाजिरपुरा पश्चिमी	27	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
28	गुदड़ी	28	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
29	नेवरैय्या	29	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
30	काजीपुरा दक्षिणी	30	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)
31	नाजिरपुरा पूर्वी	31	खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है (ओ.डी.एफ.)

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बहराइच

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
बहराइच

कार्यालय नगर पालिका परिषद बहराइच

पत्रांकः 912/ओ.डी.एफ./सूचना/न.पा./2018 दिनांक 6 सितम्बर, 2018

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस पालिका के सम्मानित सभासदों, पालिका क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थियों, स्व-सहायता समूहों एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के प्रयास से पालिका क्षेत्र खुले में शौच प्रथा से मुक्त करा दिया गया है। जिसका इस कार्यालय के पत्र संख्या-593/न.पा.प. बह./2018-19 दिनांक 23 जुलाई 2018 द्वारा दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण में प्रकाशन कर 15 दिवस के अंतर्गत आपत्ति/सुझाव मांगा गया है अभी तक कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव नगर पालिका परिषद बहराइच के समस्त वार्ड 31 खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित किया जाता है।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, बहराइच

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बहराइच

पत्रांकः 592/न.पा.प.बह./2018–19 दिनांकः 23 जुलाई 2018

अपील

समस्त नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि कृपया खुले में शौंच व मूत्र त्याग न करें, तथा घर से निकलने वाले कूड़ों को मुख्य मार्ग नाली व सड़कों पर न फेकें। सड़को मुख्य मार्गो नाली व नालों में कूड़ा फेकने पर रू. 500.00 जुर्माना व खुले में शौंच जाने पर रू. 500.00 तथा खुले में मूत्र त्याग करने पर रू. 100.00 की जर्माना राशि वसूलने के साथ–साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
बहराइच

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
बहराइच

कार्यालय नगरपालिका परिषद, बहराइच

दिनांकः 14 अगस्त 2018

स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2018) के अवसर पर नगरपालिका परिषद, बहराइच अपने नगर वासियों का अभिनन्दन करती है तथा इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है, साथ ही नगरवासियों से अपेक्षा करती है कि –

1. नगरपालिका परिषद के करों, शुल्कों व अन्य देयों का नियमित भुगतान करें।
2. जल ही जीवन है, उसे बर्बाद एवं दूषित न करें, नलों को खुला न छोड़े।
3. जन्म मृत्यु का पंजीकरण अवश्य करायें।
4. पालिका/सार्वजनिक/सरकारी भूमि/सम्पत्ति पर स्थाई/अस्थाई अतिक्रमण/कब्जा न करें।
5. सफाई कर्मी के आने से पूर्व ही अपने घरों का कूडा आदि निर्धारित स्थान पर ही डालें, ताकि सफाई कार्य में सहयोग मिल सके। सडकों, नालियों एवं रास्तों पर कूड़ा–करकट न डालें।
6. भवन निर्माण से पूर्व भवन के मानचित्र की एन.ओ.सी. कराना सुनिश्चित करें।
7. शासन के आदेशानुसार 02 अक्टूबर 2018 तक सम्पूर्ण नगर क्षेत्र बहराइच को खुले में शौंचमुक्त किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगर के जिन व्यक्तियों को शौंचालय बनवाने हेतु अनुदान दिया गया है, वह सभी व्यक्ति अपने–अपने शौंचालय का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण करा दें। खुले में शौंच करते पाये जाने पर दण्डित किया जायेगा।
8. नगर पालिका नागरिकों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सतत् प्रयत्नशील है। नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा है।

(पवन कुमार)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद–बहराइच

(सबीना रेहान)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद–बहराइच

कार्यालय नगर पालिका परिषद, बहराइच

पत्रांक 592/न.पा.प.बह./2018-19 दिनांक 23 जुलाई, 2018

अपील

समस्त नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि कृपया खुले में शौच व मूत्र त्याग न करें, तथा घर से निकलने वाले कूड़ों को मुख्य मार्ग नाली व सड़कों पर न फेकें। सड़कों मुख्य मार्गों नाली व नालों में कूड़ा फेकने पर रु. 500.00 जुर्माना व खुले में शौच जाने पर रु. 500.00 तथा खुले में मूत्र त्याग करने पर रु. 100.00 की जुर्माना राशि वसूलने के साथ-साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
बहराइच।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
बहराइच।